

अति तत्काल

संख्या एच-11018/1/2004-पीएलटी.

भारत सरकार

शहरी विकास मंत्रालय

और

आवास एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय

(संसद अनुभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 29 अक्टूबर, 2008

कार्यालय ज्ञापन

विषय: लोकसभा और राज्य सभा का 10 दिसंबर, 2008 बुधवार तक स्थगन।

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि लोकसभा और राज्य सभा 24 अक्टूबर, 2008 शुक्रवार को स्थगित कर दी गई है और अब 10 दिसंबर, 2008 बुधवार को इनकी कार्यवाई शुरू होगी।

2. तदनुसार, 27 अक्टूबर, 2008 से 21 नवंबर, 2008 तक दोनों सदनों की नियत बैठकें रद्द हो गई हैं।

(जे. एम. चौहान)

अनुभाग अधिकारी (संसद)

सेवा में,

1. शहरी विकास मंत्रालय और आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के सभी अधिकारी/अनुभाग/प्रभाग आदि।
2. शहरी विकास मंत्रालय और आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के अधीन सभी संलग्न/अधीनस्थ कार्यालय/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/स्वायत्त निकाय आदि।
3. निदेशक, संपदा-I/ निदेशक, संपदा-II
4. भूमि और विकास अधिकारी
5. निदेशक (एस एंड पी), केंद्रीय लोक निर्माण विभाग